माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

ई–मेल : mpbse@mp.nic.in वेब साइट : www.mpbse.nic.in

क्रमांक / विद्योचित / 2694 / 2020 भोपाल, दिनांक 03 / 09 / 2020

प्रति,

प्राचार्य,

मण्डल से संबंद्ध समस्त विद्यालय

मध्यप्रदेश।

विषयः– नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं शैक्षणिक सत्र 2020–21 विषयक।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की गई है। शिक्षा नीति का उद्देश्य विद्यार्थियों को Global Citizen with National Objectives and National Goals बनाना है। माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन में शिक्षा की गुणवत्ता पर जोर देने; शिक्षा सीखने, अनुसंधान एवं नवाचार उन्मुखी बनाने; तथा छात्रों की रूचि के अनुसार विषयवार चयन की सुविधा दिये जाने पर जोर दिया गया है। प्रधानमंत्री जी के शब्दों में नई शिक्षा नीति 'What to think' के स्थान पर 'How to think' पर केन्द्रित है।

2. कोरोना संकट के कारण शालाओं में नियमित पठन–पाठन में उत्पन्न चुनौती एवं नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में 'What to think' के स्थान पर 'How to think' तथा 'What to do' के स्थान पर 'How to do' की क्षमता छात्रों में विकसित करने हेतु वर्ष 2020–21 सत्र से पठन–पाठन एवं मूल्यांकन के संबंध में निम्नानुसार व्यवस्था लागू की जाती हैः–

2.1. नामांकन / पंजीयन

2.1.1 माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा विकसित मोबाईल एप ''माशिम'' पर प्रत्येक हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी स्कूल का नामांकन अनिवार्य होगा। कक्षा 9वीं से 12वीं के प्रत्येक विद्यार्थी एवं स्वाध्यायी विद्यार्थी का भी नामांकन अनिवार्य होगा। संबंधित विद्यालय द्वारा ''माशिम'' पोर्टल पर नामांकन की पुष्टि उपरान्त मण्डल द्वारा विद्यार्थियों का नामांकन स्वीकार कर नामांकन क्रमांक जारी किया जायेगा।

2.1.2 ''माशिम'' एप पर प्रत्येक हाईस्कूल / हायर सेकण्डरी स्कूल को कक्षा 9वीं से 12वीं तक पढ़ाने वाले शिक्षकों का नामांकन करना होगा जो विद्यालय के नामांकन में निहित होगा। शिक्षक स्थाई, अनुबंधित, अतिथि, पूर्णकालिक, अंशकालिक अथवा मानदेयी हो सकते हैं। एक शिक्षक एक से अधिक विद्यालय के लिये नामांकित किया

जा सकता है बशर्ते कि किसी शिक्षक विशेष को 200 से अधिक छात्र और 5 से अधिक कक्षाएं आबंटित न हो।

2.1.3 शिक्षक का नामांकन विद्यालय के नामांकन में निहित होने से विद्यालय के नामांकन पर स्वतः हो जाएगा। यदि कोई शिक्षक स्वंय का नामांकन करना चाहे तो उसे यह सुविधा उपलब्ध रहेगी। संबंधित विद्यालय द्वारा ''माशिम'' पोर्टल पर नामांकन की पुष्टि के पश्चात् शिक्षकों का मण्डल में नामांकन स्वीकार किया जाकर शिक्षकों को नामांकन क्रमांक जारी किया जायेगा।

2.1.4 जो विद्यार्थी पूर्व से मण्डल में नामांकित है उसे भी ''माशिम'' एप के माध्यम से नामांकन करना होगा, लेकिन नामांकन के लिए शुल्क नहीं लगेगा।

2.1.5 जिन छात्रों के पास मोबाईल सुविधा उपलब्ध नहीं है वे उनके नामांकन किसी परिचित के मोबाईल से, स्कूल में जाकर अथवा किसी कियोस्क सेन्टर में जाकर कर सकते हैं। विद्यालय से भी छात्र ''माशिम'' एप/पोर्टल पर नामांकन करा सकेगा।

2.1.6 विद्यालय में दर्ज सभी विद्यार्थियों के द्वारा ''माशिम'' एप पर प्रस्तुत ऑनलाईन नामांकन आवेदन की पुष्टि संबंधित विद्यालय को पोर्टल/मोबाईल एप ''माशिम'' से करनी होगी। विद्यालय द्वारा छात्रों के नामांकन की पुष्टि करने एवं यथोचित नामांकन शुल्क ऑनलाईन जमा करने पर ''माशिम'' एप से छात्र का मण्डल में नामांकन स्वतः हो जायेगा।

2.1.7 वार्षिक परीक्षा के लिये पृथक से नामांकन अथवा परीक्षा फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं होगी। संबंधित विद्यालय छात्रों से परीक्षा शुल्क प्राप्त करेगा और छात्रों द्वारा चयनित विषयों की पुष्टि करने के उपरांत विभिन्न विद्यार्थियों का परीक्षा शुल्क मोबाईल एप ''माशिम'' से मण्डल के खाते में ऑनलाईन जमा कर सकेगा।

2.1.8 धनराशि ऑनलाईन जमा होते ही विद्यार्थी का वार्षिक परीक्षा पंजीयन मान्य हो जाएगा और उसका प्रवेश-पत्र वह स्वंय अथवा विद्यालय के माध्यम से मण्डल के पोर्टल से निकाल सकेगा।

2.1.9 मोबाईल एप ''माशिम'' के माध्यम से ही संबंधित विद्यालय उसके शिक्षक को कक्षा, छात्र एवं विषय आबंटित कर सकेगा। किसी शिक्षक को आबंटित कक्षा/छात्रों में परिवर्तन की दशा में ''माशिम'' एप/पोर्टल के माध्यम से विद्यालय को जानकारी अद्यतन करनी होगी।

2.2 पठन एवं पाठन

2.2.1 पठन एवं पाठन के लिये प्रत्येक विषय को 10 यूनिट में बांटकर प्रति 2 सप्ताह में 1 यूनिट के लिए मध्यप्रदेश दूरदर्शन पर ऑडियो-वीडियो पाठ प्रसारित किये जाएंगे।

2.2.2 समस्त ऑडियो-वीडियो पाठ मण्डल एवं शासन की वेबसाइट, फेसबुक एवं यू-ट्यूब पर उपलब्ध रहेंगे। विद्यालय/शिक्षक/विद्यार्थी अपनी सुविधा अनुसार इन्हें डाउनलोड भी कर इसका उपयोग कर सकेंगे।

2.2.3 प्रत्येक अध्यायवार पाठ्यपुस्तक, ऑडियो-वीडियों सामग्री एवं प्रश्न बैंक ''माशिम'' एप/पोर्टल पर उपलब्ध रहेंगे।

2.2.4 कोरोना संकट का प्रभाव कम होने पर जब शालाओं में नियमित पठन–पाठन शुरू होगा तब विद्यालयों से अपेक्षा है कि वे समय चक्र बनाते समय मध्यप्रदेश दूरदर्शन पर मण्डल द्वारा प्रसारित किए जांने वाले ऑडियो–वीडियो पाठ के समय–चक्र को ध्यान में रखें और उनका लाभ अध्यापन कार्य में लें।

2.3 सतत मूल्यांकन

2.3.1 प्रत्येक विषय को 10 यूनिट में बांटकर प्रतिमाह 2 यूनिट अध्ययन/अध्यापन कराकर यूनिटवार होम असाईनमेन्ट (Home assignment या गृह कार्य) से मूल्यांकन किया जाए।

2.3.2 विद्यार्थी मोबाईल एप से घर बैठे प्रत्येक यूनिट के लिये प्रश्नपत्र प्राप्त कर सकेगा और किताब, शिक्षक, मित्र, परिवार के किसी सदस्य, आदि की सहायता से उत्तर तैयार कर सकेगा। उत्तर विद्यार्थी की हस्तलिपि में होना अनिवार्य होगा। इसे होम असाईनमेन्ट कहा जायेगा जिसका मूल्यांकन संबंधित विद्यालय का शिक्षक करेगा। शिक्षक/विद्यालय प्रत्येक यूनिट के प्राप्तांक विद्यार्थीवार ''माशिम'' मोबाईल एप पर अपलोड करेगा।

2.3.3 विद्यार्थियों द्वारा मोबाईल एप से प्रश्न पत्र प्राप्त करने की कठिनाई की दशा में संस्था के प्राचार्य को यह सुनिश्चित करना होगा कि नियत समय पर संबंधित विद्यालय ''माशिम'' पोर्टल से प्रश्न पत्र प्राप्त कर विद्यार्थियों को उपलब्ध करायें।

2.3.4 जो विद्यार्थी होम असाईनमेन्ट (गृह कार्य) नहीं करेगा, उसे एक बार समझाईश दी जाएगी। तत्पश्चात् एक चेतावनी दी जायेगी। इसके बाद भी जो विद्यार्थी होम असाईनमेन्ट (गृह कार्य) नहीं करेगा, उसका नामांकन तब तक के लिए निलंबित हो जायेगा जब तक कि वह होम असाईन्मेन्ट पूरा नहीं करे।

2.3.5 होम असाईनमेन्ट (गृह कार्य) के प्राप्तांक को आंतरिक मूल्यांकन के रूप में मान्य किया जायेगा। यह सतत मूल्यांकन का अनिवार्य भाग होगा।

2.3.6 प्रत्येक होम असाईनमेन्ट (गृह कार्य) में निम्न 3 खण्ड में होंगे। सभी खण्डों के उत्तर तैयार करना अनिवार्य होगाः–

खण्ड–अ	वस्तुनिष्ठ प्रश्न
खण्ड–ब	ज्ञानपरख प्रश्न
खण्ड–स	समझपरख प्रश्न

2.3.7 होम असाईनमेन्ट (गृह कार्य) के लिये मोबाईल एप में यह व्यवस्था होगी कि प्रत्येक विद्यार्थी को भिन्न–भिन्न प्रश्न–पत्र मिल सके।

2.3.8 मण्डल स्तर पर प्रत्येक विषय के प्रत्येक अध्याय के लिये प्रश्न बैंक बनाएं जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न बैंक में वस्तुनिष्ठ (objective), ज्ञान परख विषयात्मक (subjective) एवं समझपरख (analytical) प्रश्न होंगे।

-4-

2.3.9 होम असाईनमेन्ट (गृह कार्य) के मूल्यांकन की गुणवत्ता सतत् रूप से बढ़ाने के उद्देश्य से उपलब्ध शिक्षकों में से मण्डल द्वारा कुछ शिक्षकों को चयनित कर विषयवार मार्गदर्शक दल बनाए जाएंगे। यह दल मण्डल द्वारा समय–समय पर जारी कार्यक्रम के अनुसार पूर्व सूचना देकर विभिन्न विद्यालयों में किये गये होम असाईनमेन्ट (गृह कार्य) और उनके मूल्यांकन की गुणवत्ता का परीक्षण करने और गुणवत्ता में सुधार के लिए मदद करने का कार्य करेगा।

2.3.10 विद्यार्थी का मूल्यांकन सभी अनिवार्य विषयों के प्राप्तांकों के आधार पर किया जाएगा।

2.3.11 उपरोक्तानुसार होम असाईनमेन्ट आधारित सतत मूल्यांकन और वार्षिक परीक्षा को मिलाकर पूर्णांक निर्धारित किए जाएंगे। जो विद्यार्थी होम असाईनमेन्ट पूरे नहीं करेगा अथवा अनुत्तीर्ण होगा उसे आंतरिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण माना जाएगा। होम असाईनमेन्ट एवं वार्षिक परीक्षा में पृथक–पृथक पूर्णांक संबंधी आदेश पृथक से शीघ्र जारी किए जाएंगे।

2.3.12 कक्षा 9वीं एवं 11वीं की वार्षिक परीक्षा विद्यालय स्तर पर ही ली जाएगी। वार्षिक परीक्षा के लिए विद्यालय चाहे तो मण्डल स्तर पर संधारित प्रश्न बैंक से ''माशिम'' एप/पोर्टल के माध्यम से प्रश्न पत्र आहरित कर सकेगा।

2.4 शिक्षक प्रशिक्षण

2.4.1 होम असाईनमेन्ट (गृह कार्य) के मूल्यांकन के आधार पर शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए चिन्हित कर मण्डल द्वारा उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा सकेगी।

2.4.2 विभिन्न विद्यालयों द्वारा शिक्षकों के प्रशिक्षण की मांग पर भी मण्डल विशेष प्रशिक्षण सत्र की व्यवस्था कर सकेगा।

3. उपरोक्त व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में यदि कोई विद्यालय/शिक्षक कोई सुझाव भेजना चाहें तो वह मण्डल को भेज सकते हैं। प्राप्त सुझाव पर सम्यक रूप से विचार किया जाएगा।

4. कृपया उक्त व्यवस्था से संबंधित सभी छात्रों और शिक्षकों को सूचित करने की व्यवस्था करें। किसी प्रकार की कठिनाई की दशा में निम्न अधिकारियों से संपर्क किया जा सकता है:–

सं.क्र.	नाम	पद	मोबाईल नंबर
1.	सुश्री शीला दाहिमा	अतिरिक्त सचिव	9425476142
2.	श्री भुपेश गुप्ता	चीफ सिस्टम ऑफिसर	9425957887
3.	श्रीमती शैलजा श्रीवास्तव	प्रभारी अधिकारी (विद्योचित)	9893441334

5. उपरोक्त व्यवस्था दिनांक 07.09.2020 से लागू होगी।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ.क्रमांक / विद्योचित / 2695 / 2020

भोपाल, दिनांक 03 / 09 / 2020

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव, माननीय मंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग, म.प्र.शासन, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, म.प्र.शासन, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
3. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, गौतम नगर, भोपाल।
4. आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग, म.प्र. भोपाल।
5. समस्त जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
6. समस्त सी.ई.ओ., जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।
7. समस्त संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, समस्त संभाग, मध्यप्रदेश।
8. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश।
9. आंचलिक अधिकारी, आंचलिक कार्यालय / समस्त संभागीय अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र. भोपाल।
10. समस्त समन्वयक संस्था प्राचार्य, मण्डल परीक्षायें, मध्यप्रदेश।
11. प्राचार्य, आदर्श उ.मा.वि. भोपाल / रीवा / जावरा, म.प्र.।
12. निज सचिव, अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र. भोपाल।
13. निज सचिव, सचिव / अतिरिक्त सचिव / परीक्षा नियंत्रक / वित्ताधिकारी / प्रथम श्रेणी अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र. भोपाल।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल
मध्यप्रदेश, भोपाल